



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261534
CG-DL-E-10032025-261534

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946

No. 134]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 169(अ).—महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के निवंधनों के अनुसार, लोक सभा सचिवालय में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा उनके उत्पीड़न संबंधी परिवादों के निवारण और तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए एक 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया गया है। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु गठित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 01.03.2025 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक होगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक)

श्रीमती ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

पीठासीन अधिकारी

(दो)

श्री एच. राम प्रकाश
निदेशक

सदस्य

(तीन)

श्रीमती जूबी अमर
निदेशक

सदस्य-सचिव

(चार)	श्रीमती रचना शर्मा निदेशक	सदस्य
(पांच)	श्रीमती अनुजा पेठिया अधिवक्ता	सदस्य

[फा. सं. 7/52/2009-वीयू/जीएन-10182/2025]
गौरव गोयल, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2025

G.S.R. 169(E).—In terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an "Internal Complaints Committee", has been constituted comprising of the following members to provide protection against sexual harassment of women at workplace of Lok Sabha Secretariat and for redressal of complaints of harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. The tenure of the members of the Committee constituted for the purpose will be for a period of one year with effect from 01.03.2025 or until further orders, whichever is earlier :-

(i) Smt. Mamta Kemwal Joint Secretary	Presiding Officer
(ii) Shri H. Ram Prakash Director	Member
(iii) Smt. Juby Amar Director	Member-Secretary
(iv) Smt. Rachana Sharma Director	Member
(v) Smt. Anuja Pethia Advocate	Member

[F. No. 7/52/2009-VU/GN-10182/2025]
GAURAV GOYAL, Jt. Secy.